न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 85 / 2015 / दावा

1. माधोप्रसाद पुत्र स्व. बलदेव आयु 55 वर्ष
2. मोहनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र बालूराम
3. बाबूलाल आयु 53 वर्ष पुत्र बालूराम

समस्त जाति कुम्हार (कुमावत) निवासीगण ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति—

1.श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वादी की ओर से
2.प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 04.07.216

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कांकरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 781 रकबा 0.34 हैकटर जिसके पुराने खसरा नम्बर 449 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म सिवाय चक थी । जिसमें से आठ बिस्वा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । वादीगण के पिता बालूराम, बलदेव पुत्रगण कानाराम कुमावत निवासीगण कांकरा तहसील दांतारामगढ के नाम से संयुक्त रूप से पुराने खसरा नम्बर 449 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म सिवायचक में से मकान तथा बाडा हेतु 8 बिस्वा भूमि का नियमन तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा किया गया था । वादीगण के पिता के हक में उक्त नियमन निर्णय दिनांक 24.03.1969 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ किया गया था । तथा तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश कमांक 3680 दिनांक 12.05.1969 के अनुसार पटवारी हल्का कांकरा को आदेश दिया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 449 किस्म सिवायचक में से आठ बिस्वा भूमि वादीगण के पिता के नाम से संयुक्त रूप से नियमन की जाती है तथा आबादी में परिवर्तन कर शुल्क 117 रूपये पचास पैस वसूल करने के बाद हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने के आदेश दिये जाने पर पटवारी हल्का कांकरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 185 दिनांक 06.05.1970 को इस आशय की रिपोर्ट के साथ भरा गया कि आदेशानुसार भूमि को आबादी में परिवर्तन शुल्क 117 रूपये

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

50 पैसे वसूल हो चुके हैं तथा भूमि को आबादी में परिवर्तन किया गया है अतः वास्ते अमल दरामद नामान्तकरण भर कर पेश है तत्पश्चात् दिनांक 14.06.1970 को ग्राम पंचायत कांकरा द्वारा उक्त नामान्तकरण सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया था । इस प्रकार वादीगण के पिता बालूराम व बलदेव कौम कुम्हार के नाम से अलग से खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकित आबादी कायम किये गये जो कि नामान्तकरण व मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित हैं । सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट अधिकारी ने खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. आबादी को वादीगण के पिता के नाम से अलग से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं किया गया बल्कि उक्त राना खसरा नम्बर को वर्तमान खसरा नम्बर 781 में शामिल कर भूमि की किस्म को गै.मु. आबादी से कृषि भूमि कर दिया गया जबकि राजस्व रेकार्ड वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश में आठ बिस्वा भूमि किस्म गै.मु.आबादी का अलग अंकन किया जाना चाहिए था उक्त गलति को राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है ।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा तहसीलदार दांतारामगढ से राजस्व रेकार्ड के संबंध में रिपोर्ट चाही गई । प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार दांतारामगढ उपस्थित आये तथा रिपोर्ट पेश की गई ।

3. रेकार्ड के संबंध में तहसीलदार दांतारामगढ ने अपने पत्र कमांक भू.अ./16/1806 दिनांक 22.06.2016 से रिपोर्ट भिजवाई है कि वादीगणों के पिताओं को साबिक खसरा नम्बर 449 में से बालूराम, बलदेव राम पिता कानाराम कुमावत को मकान व बाडा बनाने के लिए 8 बिस्वा भूमि का नियमन तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा दिनांक 28.07.70को किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 185 से 449 मि. रकबा 8 बिस्वा गै.मु.आबादी का भरा जाकर स्वीकार हुआ था वर्तमान रेकार्ड में इस भूमि की किस्म भू प्रबन्ध के दौरान गै.मु. आबादी के स्थान पर बारानी–3 दर्ज कर दी गई तथा खातेदारी 8 बिस्वा भूमि अलग से नहीं कर संयुक्त खातेदारी में शामिल कर दी गई । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 781 रकबा 0.34 हैक्टर बारानी–3 साबिक खसरा नम्बर 442/2, 449/3, 449/3, 449/6, 449/7, 449/7 से बना है वादीगण की भूमि गै.मु. आबादी का साबिक खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा अलग था जिसको वर्तमान में किस्म गै.मु.आबादी के स्थान पर परिवर्तन कर बारानी–3 दर्ज करते हुए संयुक्त खातेदारी में शामिल कर दिया गया । अतः साबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार 8 बिस्वा भूमि गै.मु.आबादी को वर्तमान ख.नं. 781 रकबा 0.34 हैक्टर में किस्म बारानी–3 से अलग खसरा नम्बर कर किस्म बारानी–3 के स्थान पर गै.मु.आबादी करने बाबत रिपोर्ट पेश है । इसके अलावा 8 बिस्वा भूमि का 0.10 हैक्टर बनता है खसरा नम्बर 781 रकबा 0.34 हैक्टर में से रकबा 0.10 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर कायम कर किस्म बारानी 3 के स्थान पर गै.मु. आबादी किया जाना उचित है ।

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

4. बहस वकील वादीगण सुनी गई । वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम कांकरा पटवार मण्डल कांकरा के साबिक खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. आबादी को सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से वर्तमान खसरा नम्बर 781 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी–3 में शामिल करते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं था । साबिक खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा जो वादीगणों के पिता को आवासीय प्रयोजनार्थ मकान बाडा बनाने हेतु नियमन हुई थी को राजस्व रेकार्ड में शामिल खसरा नम्बर 781 में डालकर किस्म बारानी–3 दर्ज कर दिया गया है जिसे निरस्त किया जाकर वादीगणों का खसरा नम्बर अलग करते हुए 8 बिस्वा को बारानी'3 से गै.मु. आबादी शुद्ध करने के आदेश दिये जावे । प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपनी रिपार्ट में वकील वादी द्वारा दोहराये गये तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए शुद्धि किया जाना उचित बताया है ।

5. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट पर गौर किया गया । ग्राम कांकरा पटवार मण्डल कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में साबिक खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा जो वादीगणों के पिता को मकान बाडा बनाने हेतु नियमन होकर नामान्तकरण संख्याा 185 से भूमि की किस्म परिवर्तन कर गै.मु.आबादी दर्ज हुई थी तथा अलग खसरा नम्बर डाले गये थे। सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी खसरा नम्बर 449/4 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै.मु.आबादी को वर्तमान खसरा नम्बर 781 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी–3 में शामिल कर दिया गया जो सेटलमेंट के दौरान अशुद्धि हुई है । सम्पूर्ण तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात् ग्राम कांकरा के वर्तमान खसरा नम्बर 781 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से 8 बिस्वा अर्थात 0.10 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर कायम कर अलग खसरा नम्बर की किस्म गै.मु.आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो ।

6. यह आदेश आज दिनांक 04.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्व लोक अदालत खाचरियावास के अटल सेवा केन्द्र में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned by CamScanner